



के-15016/107/2015-एससी-I (भाग II)

भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
स्मार्ट सिटीज मिशन
निर्माण भवन

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: शहरों के प्राप्तांक संबंधी मापदंड से संबंधित स्पष्टीकरण – पंजाब राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि पंजाब नगरपालिका अवसंरचना विकास कंपनी (पीएमआईडीसी) ने अपने तारीख 13.07.2015 के पत्र द्वारा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने अपने तारीख 14.07.2015 के ई-मेल द्वारा कतिपय स्पष्टीकरणों की मांग की है। उठाये गए मुद्दे और स्पष्टीकरण नीचे दिए हैं:

क. पीएमआईडीसी

| क्र.सं. | मांगा गया स्पष्टीकरण | प्रस्तावित स्पष्टीकरण |
|---------|---|---|
| | क्या पृष्ठ 29 पर (प्रपत्र-2) के स्कोर कार्ड के भाग-1 में अंको पर विचार करने के लिए स्वच्छता शौचालयों में हुई वृद्धि को, यूएलबी में सीवर कनेक्शनों (2011 जनगणना के संदर्भ में) की प्रतिशत में हुई वृद्धि के रूप में माना जा सकता है। | नहीं |
| | ऐसे शहर के मामले में, जहां मिशन अवधि के दौरान किसी जेएनएनयूआरएम परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई हो, पृष्ठ 32 पर स्कोर कार्ड (प्रपत्र-2) के भाग 14 और 15 में अंक कैसे दिए जा सकते हैं। | सचिव (स्थानीय स्व सरकार) पंजाब के तारीख 10 जुलाई, 2015 के ई-मेल की प्रतिक्रिया में तारीख 14 जुलाई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा स्पष्टीकरण पहले ही दे दिया गया था। [3-5/सी] |

ख. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

| क्र.सं. | मांगा गया स्पष्टीकरण | प्रस्तावित स्पष्टीकरण |
|---------|---|--|
| | क्या दिल्ली शहर को शहरी समूह के रूप में लेना चाहिए या हमें प्रपत्र-2 स्कोर कार्ड भेजकर चार यूएलबी अर्थात उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद् को लेना चाहिए। | प्रत्येक यूएलबी को पृथक निकाय के रूप में माना गया है और तदनुसार राज्य आगे कार्रवाई कर सकता है। |



(प्रदीप कुमार सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.: 011-23062951

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी प्रमुख सचिव (शहरी विकास)
[संलग्न सूची के अनुसार]